

अनुदान संख्या 1 - कृषि और सहकारिता विभाग
GRANT No. 1-DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-			
पूरक	Supplementary	1,00	49	-51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	4969,43,00		
पूरक	Supplementary	265,05,00	5234,48,00	5123,20,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-111,27,40
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	178,88,00		
पूरक	Supplementary	1,00	178,89,00	168,30,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-10,58,22
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	70,85,00		
पूरक	Supplementary	1,00	70,86,00	54,51,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-16,34,28
				12,44,90

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (11127.40 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 26505.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 42 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.11127.40 lakhs) constituted 42 percent of the supplementary grants of Rs.26505.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	3899.00	3787.77	3344.16
पु.	R.	-111.23		
				-443.61
मुख्य शीर्ष "2401" फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry			
मू.	O.	302617.00	365906.23	364394.38
पू.	S.	26502.00		
पु.	R.	36787.23		
				-1511.85
मुख्य शीर्ष "2402" मृदा तथा जल संरक्षण	Major Head "2402" Soil and Water Conservation			
मू.	O.	1603.00	1489.55	1416.53
पु.	R.	-113.45		
				-73.02
मुख्य शीर्ष "2425" सहकारिता	Major Head "2425" Co-operation			
मू.	O.	9300.00	12400.00	12400.00
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	3099.00		
				..
मुख्य शीर्ष "2435" अन्य कृषि कार्यक्रम	Major Head "2435" Other Agricultural Programmes			
मू.	O.	20165.00	16699.63	16356.40
पु.	R.	-3465.37		
				-343.23

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	43950.00			
पू.	S.	2.00
पु.	R.	-43952.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	114443.00	113848.56	113609.25	-239.31
पु.	R.	-594.44			
(I) 64582.00 लाख रु. का प्रावधान इकतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 64052.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-			(I) Provision of Rs.64582.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty one heads; of these Rs.64052.00 lakhs accounted for under following major heads: -		
(का) मुख्य शीर्ष "2401" -			(A) Major Head "2401"-		
(क) "बीज - पुनर्संरचना के लिए एसएफसीआई/एनएससी को अनुदान" 500.00 लाख रु. व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।			(a) "Seeds - Grants to SFICI/NSC for restructuring" - Rs.500.00 lakhs - due to non-approval of the Scheme by Expenditure Finance Committee.		
(ख) "वाणिज्यिक फसलें - शुष्क भूमि/वर्षा आधारित कृषि प्रणाली को जारी रखने को बढ़ावा देना" - 500.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।			(b) "Commercial Crops - Enhancing Sustainability of Dry land/Rainfed Farming System" - Rs.500.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.		
(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -			(B) Major Head "2552" -		
(क) "फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण" -			(a) "Crop Husbandry-Extension & Farmers Training"-		
(i) "राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता" - 800.00 लाख रु.;			(i) "Support to State Extension Services" - Rs.800.00 lakhs;		

- (ii) "कृषि विस्तार को जन प्रचार माध्यमों का समर्थन" - 2000.00 लाख रु.;
- (ख) "फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी" -
- (i) "कृषि जनगणना" - 200.00 लाख रु.;
- (ii) "कृषि सांख्यिकी का सुधार" - 140.00 लाख रु.;
- (iii) "कृषि आर्थिक नीति और विकास संबंधी निविष्टि का अध्ययन" - 200.00 लाख रु.;
- (ग) "फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण संबंधी बीज अवसरंचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - 500.00 लाख रु.;
- (घ) "फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - 450.00 लाख रु.;
- (ङ) "फसल कृषि कर्म - वनस्पति संरक्षण - भारत में कीट प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" - 150.00 लाख रु.;
- (च) "फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी - किसानों के खेतों में बागवानी उपस्कर सहित नव विकसित कृषि उपस्कर के प्रशिक्षण और निदर्शन की बाहरी स्रोतों के माध्यम से व्यवस्था करना" - 150.00 लाख रु.;
- (छ) "फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - गहन कपास विकास कार्यक्रम और कपास से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन" - 200.00 लाख रु.;
- (ज) "फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन, तेल पाम, दालें और मक्का विकास" - 250.00 लाख रु.;
- (झ) "फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें" -
- (ii) "Mass Media Support to Agricultural Extension" - Rs.2000.00 lakhs;
- (b) "Crop Husbandry - Agricultural Economics & Statistics" -
- (i) "Agricultural Census" - Rs.200.00 lakhs;
- (ii) "Improvement of Agricultural Statistics" - Rs. 140.00 lakhs;
- (iii) "Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development" - Rs.200.00 lakhs;
- (c) "Crop Husbandry - Seeds - Development and Strengthening of Seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds" - Rs.500.00 lakhs;
- (d) "Crop Husbandry - Manures & Fertilisers - National Project on Promotion of Organic Farming" - Rs.450.00 lakhs;
- (e) "Crop Husbandry - Plant Protection - Strengthening and Modernisation of Pest Management approach in India" - Rs.150.00 lakhs;
- (f) Crop Husbandry - Agriculture Engineering - Outsourcing of training and demonstration of newly developed agricultural equipment including horticulture equipment at farmers's field" - Rs.150.00 lakhs;
- (g) "Crop Husbandry - Commercial Crops - Intensive Cotton Dev. Programme & Technology Mission of Cotton" - Rs.200.00 lakhs;
- (h) "Crop Husbandry - Development of Oilseeds - Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses & Maize Development" - Rs.250.00 lakhs;
- (i) Crop Husbandry - Horticulture & Vegetable Crops" -

- | | |
|--|---|
| (i) "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान" - 1500.00 लाख रु.; | (i) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" – Rs.1500.00 lakhs; |
| (ii) "केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना" - 430.00 लाख रु.; | (ii) "Estt. of Central Institute of Horticulture" – Rs.430.00 lakhs; |
| (iii) "पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन" - 15001.00 लाख रु. (दिसम्बर, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); | (iii) "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal" – Rs.15001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2006); |
| (iv) "बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - 7000.00 लाख रु.; | (iv) "National Mission of Bamboo Technology and Trade Development" – Rs.7000.00 lakhs; |
| (ज) "फसल कृषि कर्म - अन्य व्यय - कार्ययोजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण" - 13680.00 लाख रु.; | (j) "Crop Husbandry –Other Expenditure – Supplementation/complementation of State efforts through work plan" – Rs.13680.00 lakhs; |
| (ट) "अन्य कृषि कार्यक्रम - अन्य व्यय - ग्रामीण गोदाम का निर्माण" - 200.00 लाख रु.; | (k) "Other Agricultural Programme – Other Expenditure – Construction of Rural Godown" – Rs.200.00 lakhs; |
| (ठ) "सहकारिता - सहकारी व्यय - शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी पुनर्गठित स्कीम" - 300.00 लाख रु.; और | (l) "Co-operation-Co-operative Expenditure – Restructured Scheme of Education and training" – Rs.300.00 lakhs; and |
| (ड) "सहकारिता - अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता" - 401.00 लाख रु. (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे। | (m) "Co-operation – Assistance to other Co-operatives - Assistance to NCDC for Dev. of Co-operatives" – Rs.401.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2007). |

उपर्युक्त उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक

Provisions under the above nineteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- Crop Husbandry- Commercial Crops – Enhancing sustainability of

फसलें - शुष्क भूमि/वर्षा आधारित कृषि प्रणाली जारी रखे जाने को बढ़ावा देना'' - 19500.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कृषि और सहकारिता विभाग" के अंतर्गत 556.11 लाख रु. की बचत (3699.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, कार्यालय उपस्करों की खरीद संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "बीज - पीवीपी विधान का कार्यान्वयन" - 537.84 लाख रु. की बचत (950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - 738.64 लाख रु. की बचत (1425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय" - 1009.18 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 0.30 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 5096.30 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, नए एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र न खोले जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घा) "वाणिज्यिक फसलें - कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन" - 257.85 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ङ) "विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण" -

(क) "डीओई के केंद्रीय संस्थान को विस्तार सहायता" - 274.47 लाख रु. की बचत (1265.00 लाख रु. के

Dry land/Rainfed Farming System" - Rs.19500.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Agriculture and Co-operation" - saving of Rs. 556.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3699.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts, non-finalisation of proposals for purchase of Office equipments and economy measures.

(III) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Seeds - Implementation of PVP Legislation" - saving of Rs.537.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.950.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/non-finalisation of proposals and economy measures.

(B) "Manures and Fertilizers - National Project on Promotion of Organic Farming" - saving of Rs.738.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1425.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(C) "Plant Protection - Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage" - saving of Rs.1009.18 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5096.30 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.30 lakh obtained in August, 2006) was due to non-filling of vacant posts, non-creation of new integrated Pest Management Centres and economy measures.

(D) "Commercial Crops - Technology Mission on Cotton" - saving of Rs.257.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(E) "Extension and Farmer's Training" -

(a) "Extension Support to Central Institutes of DOE" - saving of Rs.274.47 lakhs

- स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता” - 1830.29 लाख रु. की बचत (6450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरण के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (ब) “Support to State Extension Services” – saving of Rs.1830.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6450.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agency.
- (चा) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी” -
- (क) “कृषि जनगणना” - 135.02 लाख रु. की बचत (191.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से कोई मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (F) “Agricultural Economics and Statistics” –
- (अ) “Agricultural Census”- saving of Rs.135.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.191.00 lakhs) was due to no demand from NIC.
- (ख) “अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भू आधारित प्रेक्षण के उपयोग से कृषि उपज का पूर्वानुमान” - 226.25 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 0.30 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 400.30 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी दस्तावेजों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (ब) “Forecasting Agricultural output Using Space Agro Meteorology and Land Based Observation” – saving of Rs.226.25 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.400.30 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.30 lakh obtained in August, 2006) was due to non-finalisation of technical documents.
- (ग) “फसल कृषि कर्म का पूर्वानुमान और दूर संवेदी अनुप्रयोग” - 145.41 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (क) “Forecasting and Remote Sensing Application of Crops Husbandry” – saving of Rs.145.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and
- (छा) “तिलहनों का विकास - पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहन” - 200.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (G) “Development of Oil Seeds – Tree Born Oil Seeds” – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs).
- उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- Сavings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous years with implementing agencies and economy measures.
- (जा) “बागवानी और वनस्पति फसलें” -
- (H) “Horticulture and Vegetable Crops”-
- (क) “राष्ट्रीय बागवानी मिशन” - 5470.57 लाख रु. की बचत (100000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (अ) “National Horticulture Mission” – saving of Rs.5470.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100000.00 lakhs); and

(ख) “लघु सिंचाई” - 5933.12 लाख रु. की बचत (52000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(झ) “अन्य व्यय” -

(क) “कृषि निदानशाला/कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना” - 463.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) “कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन” - 954.20 लाख रु. की बचत (2450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2402” - “मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण - अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण और दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग” के अंतर्गत 186.47 लाख रु. की बचत (1063.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2435” - “विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “श्रेणीकरण और गुणवत्ता सुविधाएं - एगमार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण” - 138.01 लाख रु. की बचत (1068.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय” -

(क) “विपणन, बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और विपणन मानकीकरण” - 2195.18 लाख रु. की

(b) “Micro Irrigation” – saving of Rs.5933.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.52000.00lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(I) “Other Expenditure” -

(a) “Establishment of Agricultural Clinic / Agricultural Business Centres” - saving of Rs.463.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and availability of unspent balance with the implementing agencies.

(b) “Strengthening/Promoting Agricultural Information System” – saving of Rs.954.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2450.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and economy measures.

(IV) Under Major Head “2402” – “Soil Survey and Testing – All India Soil and Land use Survey and Application of Remote Sensing Technology” - saving of Rs.186.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1063.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(V) Under Major Head “2435”- “Marketing and Quality Control” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Grading and Quality Facilities – Strengthening of Agmark Grading Facilities” – saving of Rs.138.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1068.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposals and economy measures.

(B) “Other Expenditure” -

(a) “Marketing, Development of Market Infrastructure, Grading and Marketing Standardisation” – saving of Rs.2195.18

बचत (6700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

- (ख) “लघु कृषक कृषि व्यापार संघ” - 1457.00 लाख रु. की बचत (3800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - गहन कपास विकास कार्यक्रम और कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन” के अंतर्गत 776.51 लाख रु. की बचत (6200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VII) छह शीर्षों के अंतर्गत 497.75 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (48420.91 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2006, दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में 26505.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2401” के अंतर्गत -

- (क) “बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण” - 680.20 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 647.03 लाख रु. था।

- (ख) “फसल बीमा - राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम को लागू करने के लिए जीआईसी/एआईसी को अदायगी” - 7037.90 लाख रु.।

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6700.00 lakhs); and

- (b) “Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC)” – saving of Rs.1457.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(VI) Under Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Crop Husbandry – Commercial Crops – Intensive Cotton Development Programmes and Technology Mission on Cotton” - saving of Rs.776.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6200.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the State Governments.

(VII) Under six heads savings of Rs.497.75 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.48420.91 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.26505.00 lakhs in August 2006, December, 2006 and March, 2007 under the following major heads:-

(A) Under Major Head “2401”-

- (a) “Seeds – Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds” – Rs.680.20 lakhs. Actual excess, however, was Rs.647.03 lakhs.

- (b) “Crop Insurance – Payment to GIC/AIC for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS)” – Rs.7037.90 lakhs.

- (ग) "तिलहनो का विकास - एकीकृत तिलहन/तेल पाम/दालो और मक्का का विकास" - 1112.81 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1112.74 लाख रु. था।
- (घ) "बागवानी और वनस्पति फसलें" -
- (i) "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान" - 2500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2499.50 लाख रु. था।
- (ii) "पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन" - 22933.10 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 22931.50 लाख रु. था।
- (ङ) "अन्य व्यय" -
- (i) "एमआईएस/पीएसएस के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को अनुदान" - 10000.00 लाख रु.।
- (ii) "कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण" - 1057.90 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 942.70 लाख रु. था।
- (खा) मुख्य शीर्ष "2425" -
- (क) "अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिता के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता" - 2499.50 लाख रु. था।
- (ख) "सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी पुनर्गठित स्कीम" - 599.50 लाख रु.।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-
- (का) मुख्य शीर्ष "2401" -
- (क) "विस्तार और कृषक प्रशिक्षण - कृषि विस्तार को जन प्रचार माध्यमों की सहायता" - 3331.07 लाख रु.
- (c) "Development of Oil Seeds – Integrated Oilseeds/Oil palm/Pulses and Maize Development" - Rs.1112.81 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1112.74 lakhs.
- (d) "Horticulture and Vegetable Crops" –
- (i) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" - Rs. 2500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2499.50 lakhs.
- (ii) "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North East States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttranchal" – Rs.22933.10 lakhs. Actual excess, however, was Rs.22931.50 lakhs.
- (e) "Other Expenditure"-
- (i) "Grants to National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Limited for MIS/PSS" – Rs.10000.00 lakhs.
- (ii) "Supplementation/Complementation of States efforts through work Plan (Macro Management)" – Rs.1057.90 lakhs. Actual excess, however, was Rs.942.70 lakhs.
- (B) Major Head "2425"-
- (a) "Assistance to other Co-operatives – Assistance to N.C.D.C. for Development of Co-operative" – Rs.2499.50 lakhs.
- (b) "Co-operative Education – Restructured Schemes of Education and Training" – Rs.599.50 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head "2401" -
- (a) "Extension & Farmers Training - Mass Media Support to Agricultural

का अधिक व्यय (10600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए सेवा कर और दूरदर्शन को निर्माण प्रभारों की अदायगी किए जाने और जन प्रचार माध्यम स्कीम का महत्वपूर्ण मूल्यांकन अध्ययन किए जाने के कारण हुआ।

(ख) “बागवानी और वनस्पति फसलें - बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन” - 6570.86 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2435” - “विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय - ग्रामीण गोदामों का निर्माण” - 192.41 लाख रु. अधिक व्यय (6800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” -

(क) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(i) “फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - पटसन प्रौद्योगिकी मिशन - मिन-मिशन-II - 418.00 लाख रु. का अधिक व्यय (90.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई स्कीम के अंतर्गत निधियों की अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) “फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना” - 1143.22 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्यों के माध्यम से स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Extension” – excess of Rs.3331.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10600.00 lakhs) was due to payment of Service Tax on telecast and production charges to Doordarshan and to carry out important evaluation studies of the mass media scheme.

(b) “Horticulture and Vegetable Crops - National Mission on Bamboo Technology and Trade Development” – excess of Rs.6570.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “2435” – “Marketing and Quality Control – Other Expenditure – Construction of Rural Godowns” – excess of Rs.192.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6800.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region & Sikkim and release of additional grants-in-aid under National Agricultural Bank for Rural Development.

(C) Major Head “3601” -

(a) “Grants for Central Plan Schemes”-

(i) “Crop Husbandry – Commercial Crops – Jute Technology Mission – Min-Mission-II” – excess of Rs.418.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.90.00 lakhs) was due to requirements of additional funds under the new scheme.

(ii) “Crop Husbandry - Manures and Fertilizers – National Project on Promotion of Organic Farming” – excess of Rs.1143.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for implementing the schemes through States instead of implementing agencies.

(iii) “फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी - किसानों के खेतों में बागवानी उपस्कर सहित नव विकसित कृषि उपस्कर के प्रशिक्षण और प्रदर्शन की बाहरी स्रोत से व्यवस्था करना” - 123.17 लाख रु. का अधिक व्यय (418.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(iv) “फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का संवर्धन/सुदृढ़ीकरण” - 179.98 लाख रु. का अधिक व्यय (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(v) “फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण संबंधी बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण” - 4582.89 लाख रु. का अधिक व्यय (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंध्र प्रदेश को प्रधान मंत्री राहत पैकेज के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(i) “फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि जनगणना” 198.20 लाख रु. का अधिक व्यय (984.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ;

(ii) “फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कार्ययोजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/ अनुपूरण” - 10529.93 लाख रु. का अधिक व्यय (57872.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ; और

(iii) “फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन, तेल पाम, दालें और मक्का विकास” - 2399.87 लाख रु. का अधिक व्यय (18750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(iii) “Crop Husbandry – Agricultural Engineering – Outsourcing of training and demonstration of Newly Developed Agricultural Equipment including Horticulture Equipment at Farmers field” – excess of Rs.123.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.418.00 lakhs); and

(iv) “Crop Husbandry – Other Grants – Promotion/Strengthening of IT in Agriculture” – excess of Rs.179.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(v) “Crop Husbandry – Seeds – Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds” – excess of Rs.4582.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to release of additional grants-in-aid under Prime Minister’s relief package to Andhra Pradesh.

(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(i) “Crop Husbandry – Agricultural Economic and Statistics – Agriculture Census” - excess of Rs.198.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.984.00 lakhs);

(ii) “Crop Husbandry – Other Grants - Supplementation/Complementation of States Efforts Through Work Plan (Macro Management)” – excess of Rs.10529.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.57872.00 lakhs); and

(iii) “Crop Husbandry – Development of Oil Seeds – Integrated Oilseeds, Oil palm, Pulses and Maize Development” – excess of Rs.2399.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18750.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय मू.	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas O.	3420.00		
पु.	R.	-3419.00	1.00	-1.00
मुख्य शीर्ष "7601" राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम (प्रभारित) मू.	Major Head "7601" Loans and Advances to State Governments (Charged) O.	14468.00	16850.78	-20.00
पु.	R.	2382.78	16830.78	

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) 3421.00 लाख रु. का विनियोग (अगस्त, 2006 में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक विनियोग सहित) दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 3420.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Appropriation of Rs.3421.00 lakhs (including token supplementary appropriation of Rs.1.00 lakh under one head obtained in August, 2006) remained wholly unutilised in two cases; of these Rs.3420.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "7601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज - फसल कृषि कर्म -

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "7601" - "Loans for

अन्य कर्ज - कार्य योजना (वृहद प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 2362.78 लाख रु. का अधिक व्यय (14468.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों से किए जाने के कारण हुआ।

Centrally Sponsored Plan Schemes- Crop Husbandry- Other Loans- Supplementation / Complementation of States Efforts through Work Plan (Macro Management) – excess of Rs.2362.78 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.14468.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry			
मू.	O.	1290.00		
पु.	R.	-580.90	709.10	442.00
				-267.10
मुख्य शीर्ष "4402" मट्टा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4402" Capital Outlay on Soil and Water Conservation			
मू.	O.	165.00		
पु.	R.	-34.00	131.00	8.72
				-122.28
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	630.00		
पु.	R.	-630.00
				..

(I) 681.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 630.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें - केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना" - 130.00 लाख रु; और

(खा) "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीम के लिए प्रावधान" - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण संबंधी बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण" - 119.80 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कम आवश्यकता प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - 276.37 लाख रु. की बचत (325.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "वनस्पति संरक्षण" -

(क) "देश में कीट प्रबंधन पद्धति का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण" - 147.35 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "वनस्पति संगरोध सुविधाओं का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण" - 162.73 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.681.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.630.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552"- under the following major heads:-

(A) "Crop Husbandry – Horticulture & Vegetable Crops – Establishment of Central Institute of Horticulture" – Rs.130.00 lakhs; and

(B) "Other Expenditure – Provision for Project/Scheme for the benefit of North Eastern States including sikkim" – Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from the implementing agencies.

(II) Under Major Head "4401" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Seeds – Development and Strengthening of Seeds Infrastructure Facilities for production and Distribution of Seeds" – saving of Rs.119.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to less requirement from Central Public Works Department.

(B) "Manures and Fertilizers – National Project on Promotion of Organic Farming" – saving of Rs.276.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.325.00 lakhs);

(C) "Plant Protection"-

(a) "Strengthening and Modernisation of Pest Management Approach in the Country" – saving of Rs.147.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs); and

(b) "Strengthening and Modernisation of Plant Quarantine Facilities" – saving of Rs.162.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of proposals from the implementing agencies.

(III) मुख्य शीर्ष "4402" - "मृदा संरक्षण - अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण" के अंतर्गत 156.28 लाख रु. की बचत (165.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का कम उपयोग किए जाने और भवन निर्माण के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 62.36 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत थी।

(III) Under Major Head "4402" - "Soil Conservation - All India Soil and Land Use Survey" - saving of Rs.156.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.165.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-utilisation of funds for construction of building.

(IV) Under one head saving of Rs.62.36 lakhs occurred constituting 62 percent of the sanctioned provision.
